

भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या : 3561

गुरुवार, 24 मार्च, 2022 / 3 चैत्र, 1944 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

युवाओं को कौशल प्रशिक्षण

3561. श्री कराडी सनगन्ना अमरप्पा:

श्री बी.वाई. राघवेन्द्र:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) ने विमानन क्षेत्र में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए निर्माण उद्योग विकास परिषद (सी.आई.डी.सी.) के साथ साझेदारी की है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं की संख्या कितनी है;

(ग) युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के लिए सी.आई.डी.सी. को जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या प्रशिक्षण पूरा करने वालों के लिए नौकरी के अवसरों को प्राथमिकता दी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ए.ए.आई. ने देश में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास कोष और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल) (डा.), विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त)

(क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) ने निर्माण उद्योग विकास परिषद (सीआईडीसी) को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के माध्यम से पिछड़े और दूरदराज के क्षेत्रों में आजीविका को बढ़ावा देने के साथ-साथ सुविधाविहीन वर्गों को सार्थक रोजगार उपलब्ध करने के लिए रोजगार उन्मुख कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु वित्तपोषण प्रदान किया है, जिससे निर्माण क्षेत्र में उनका सामाजिक और आर्थिक उत्थान होता है। प्रशिक्षण प्रदान किए जाने वाले क्षेत्रों में राजमिस्ती, बढई, प्लंबर, बार बेंडर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, स्टोर कीपर, साइट अकाउंटेंट, कार्यालय सहायक आदि क्षेत्र शामिल हैं;

(ख) और (ग) कार्यक्रम-वार विवरण अनुबंध-1 पर हैं;

(घ) ए.ए.आई.-सीआईडीसी कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित युवाओं को सीआईडीसी द्वारा नौकरी के अवसर प्रदान किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों के तहत कुल प्रशिक्षित उम्मीदवारों में से 60 प्रतिशत से अधिक को सीआईडीसी द्वारा विभिन्न रोजगार क्षेत्रों में रखा गया है।

(ड.) और (च) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने चंडीगढ़ और मुंबई में बहु-कौशल विकास केंद्र की स्थापना के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) और राष्ट्रीय कौशल विकास कोष (एनएसडीएफ) के साथ दो त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन का विवरण और परिणाम इस प्रकार हैं:

- i. चंडीगढ़ में तीन वर्ष की अवधि के दौरान प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या 1,681 और मुंबई में 720 हैं।
- ii. चंडीगढ़ और मुंबई में विमानन केंद्र के लिए पहचानी गई नौकरियों में एयरलाइन ग्राहक सेवा कार्यपालक, एयरलाइन आरक्षण एजेंट, एयरलाइन कार्गो सहायक, एयरलाइन रैंप कार्यपालक, एयरलाइन उड़ान लोड नियंत्रक, एयरलाइन सुरक्षा कार्यपालक, हवाईअड्डे एक्स-रे अर्हता प्राप्त कर्मचारी, हवाईअड्डा सुविधा सेवाएं और एयरलाइन बैगेज हैंडलर के पद शामिल हैं।
- iii. प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य विमानन क्षेत्र में कौशल के साथ-साथ कौशल उन्नयन (अप-स्किलिंग) करना है।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रदान की गई वित्तीय सहायता इस प्रकार है:

- i. वित्तीय वर्ष 2018-19 – विमानन क्षेत्र से संबंधित प्रशिक्षण के लिए चंडीगढ़ और मुंबई कौशल विकास केंद्र को क्रमशः 2 करोड़ रुपये और 60 लाख रुपये प्रदान किए गए।
- ii. वित्तीय वर्ष 2019-20 - शून्य
- iii. वित्तीय वर्ष 2020-21 और वित्तीय वर्ष 2021-22 - शून्य, देशभर में कोविड -19 महामारी के प्रकोप और तत्पश्चात लॉकडाउन के कारण, प्रशिक्षण संस्थान बंद थे, जिससे प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रभावित हुआ।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3561

सीएसआर के तहत एएआई द्वारा सीआईडीसी को जारी की गई धनराशि का विवरण निम्नानुसार है:

कार्यक्रम	राशि और स्थल	प्रशिक्षित
सीआईडीसी द्वारा बेरोजगार युवाओं, अव की महिलाओं और .पि.अ/जा.ज.अ/जा. समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के लिए रोजगार उन्मुख 2000 प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम। वित्त वर्ष 2018-19	10.59 करोड़ रुपए (र्ण भारत मेंसम्पू)	1999
अव की महिलाओं.पि.अ/जा.ज.अ/जा., बेरोजगार युवाओं और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के लिए 2000 रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम। वित्त वर्ष 2018-19	10.59करोड़ रुपए (पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु)	1604 (चालू परियोजनाएं)